



प्रेषक,

विनोद कुमार वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलपति,
कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,
अयोध्या, मेरठ, बांदा ।

कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग**लखनऊ: 14 मार्च, 2026**

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में उपकरण क्रय हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कुलसचिव, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या के पत्रांक:2/ ए.एन.डी.यू.ए.टी./2025/62, दिनांक 08.04.2025 तथा निदेशक, प्रशासन एवं अनुश्रवण, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा के पत्रांक:BUAT/DAM/182/2025, दिनांक 11.04.2025 एवं वित्त नियंत्रक, सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के पत्रांक:सवप/2025/वि0नि0/277, दिनांक 11.04.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों हेतु उपकरण क्रय हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों के उपकरणों के क्रय हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राविधानित धनराशि ₹0 500.00 लाख में से निम्न तालिकानुसार ₹0 748.76 लाख (रूपये सात करोड़ अड़तालीस लाख छिहत्तर हजार मात्र) प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किस्त के रूप में धनराशि ₹0 500.00 लाख (रूपये पांच करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रुपये लाख में)

क्र. सं.	कार्ययोजना विवरण	परियोजना लागत की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	परियोजना हेतु निर्गत की जाने वाली प्रथम किस्त की धनराशि
1	आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या के अन्तर्गत संचालित सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय हेतु उपकरणों का क्रय।	25.50	20.00
2	आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या के अन्तर्गत संचालित मात्स्यिकी महाविद्यालय हेतु उपकरणों का क्रय।	54.50	40.00
3	आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या के अन्तर्गत संचालित पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय हेतु उपकरणों का क्रय।	73.50	60.00
4	आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या के अन्तर्गत संचालित महामाया कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अम्बेडकर नगर हेतु उपकरणों का क्रय।	71.47	55.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

5	सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के अन्तर्गत संचालित पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय की प्रयोगशाला के सुदृढीकरण हेतु उपकरणों का क्रय :- 1. High end Ultrasound Machine with 3D and 4D probes. 2. Electrosin Machine. 3. Embryo Micromanipulation System. 4. Somatic Cell Counter. 5. Cryostat. 6. Ultra Low Temperature Deep freezer (Vertical -80°C). 7. Gel documentation system.	148.00	100.00
6	कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा के अन्तर्गत संचालित कृषि अभियांत्रिकी, खाद्य प्रौद्योगिकी, कृषि महाविद्यालय, उद्यान, वानिकी महाविद्यालय तथा सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय हेतु उपकरणों का क्रय।	375.79	225.00
	योग-	748.76	500.00

शर्तें / प्रतिबन्ध :-

1. उक्त संबंधित विश्वविद्यालयों में कुलपति की अध्यक्षता में एक समिति गठित कराकर उक्त समिति के माध्यम से प्रस्तावित /वांछित उपकरणों का क्रय किया जायेगा।
2. विश्वविद्यालयों द्वारा धनराशि का उपभोग करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रस्तावित उपकरणों क्रय से संबंधित प्रस्ताव समक्ष स्तरों से अनुमोदित हों।
3. प्रश्नगत उपकरणों का क्रय अद्यतन वित्तीय नियमों/ई-टेंडर/जेम पोर्टल से किया जायेगा।
4. स्वीकृत धनराशि का उपयोग वित्तीय हस्तपुस्तिका के खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के सुसंगत प्राविधानों के अनुरूप चालू वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय द्वारा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय / उपभोग राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक/दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।
6. निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
7. प्रस्तावित उपकरणों आदि का क्रय वास्तविक आवश्यकता/औचित्य होने पर ही किया जाए।
8. प्रस्तावित उपकरण पूर्व से उपलब्ध हैं एवं वर्तमान में अनुपयोगी/निष्प्रयोज्य हो गये हों।
9. प्रस्तावित उपकरण प्रथम बार क्रय किये जा रहे हों।
10. प्रश्नगत उपकरण क्रय में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता होने पर संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति तथा वित्त नियंत्रक एवं संबंधित अन्य अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
11. स्वीकृत धनराशि का व्यय कार्ययोजना की गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।
12. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
13. स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
14. धनराशि आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखी जाती है, जिस पर ब्याज अर्जित होता है, तो ब्याज निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराये जाने का दायित्व विश्वविद्यालय/संस्था का होगा।
15. धनराशि कोषाकार से आहरित करके प्रबन्ध परिषद के पूर्वानुमोदन से व्यय की जायेगी तथा किसी भी मद में स्वीकृत धनराशि का व्यावर्तन नहीं किया जायेगा/किसी अन्य मद में पुनर्विनियोग नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

16. स्वीकृत धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।
 17. विश्वविद्यालय के लेखों का परीक्षण भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा किया जायेगा।
 18. अनुदान के देयक, जो कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति और वित्त नियंत्रक द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित होंगे, इस देयक पर जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर और संबंधित कोषाधिकारी द्वारा भुगतान किया जायेगा।
 19. सम्बंधित कुलपति/वित्त नियंत्रक अनुदान की धनराशि का आहरण करने के उपरान्त तथा प्रपत्र बी.एम. में मासिक सूचना उपकार/शासन को उपलब्ध करायेंगे।
 20. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27.03.2025 एवं इस संबंध में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 5,00,00,000 (रुपये पाँच करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या 011 लेखा शीर्षक 4415802770900** कृषि विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/उपकार में उपकरणों/साज-सज्जा आदि **मानक मद 42** अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।
- 4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक- 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
विनोद कुमार वर्मा,
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, 30प्र0, प्रयागराज,
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, 30प्र0, लखनऊ/प्रयागराज
3. जिलाधिकारी / कोषाधिकारी, अयोध्या, मेरठ, बांदा ।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, 30प्र0, लखनऊ ।
5. वित्त नियंत्रक, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या, मेरठ, बांदा ।
6. सचिव, 30प्र0, कृषि अनुसंधान परिषद, गोमती नगर, लखनऊ ।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1 / वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 ।
8. गार्ड बुक ।

आज्ञा से,
विनोद कुमार वर्मा,
अनु सचिव।